बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

पत्रांक–भवन / 10 / आरोप(औरंगाबाद)–36 / 2014 5379(भ0) / दिनांक 14.6.17

:: संकल्प ::

श्री अवध किशोर, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, अरवल द्वारा जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के आदेश ज्ञापांक–449 दिनांक–25.06.2012 के आलोक में निर्धारित अवधि में राष्ट्रीय समविकास योजनान्तर्गत ए0एन0 सिन्हा कॉलेज, औरंगाबाद के परिसर में 40 शैय्यावाले छात्रावास के निर्माण हेतु कार्यादेश / एकरारनामा करने एवं कार्य का निस्तार करने में अनावश्यक विलंब किया गया एवं उक्त योजना हेतु विमुक्त राशि ₹35.52 लाख का दुरूपयोग किया गया जैसा कि आरोप प्रपत्र–''क'' में अन्तर्विष्ट है।

2. उक्त आरोप प्रपत्र–''क'' के आलोक में विभागीय पत्रांक–10886(भ0) दिनांक–17.10.2014 द्वारा श्री किशोर, कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री किशोर द्वारा उनके पत्रांक–1310 दिनांक–03.11.2014 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त असंतोषजनक पाये जाने के उपरान्त उक्त प्रपत्र–''क'' में वर्णित आरोपों के लिये उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित करने का निर्णय लिया गया।

3. अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अवध किशोर, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, अरवल के विरूद्ध संलग्न आरोप प्रपत्र–''क'' में अन्तर्विष्ट आरोपों की जाँच विहित रीति से करने हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–17 के अधीन विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाती है जिसमें श्री उपेन्द्र नारायण, मुख्य अभियंता (दक्षिण) को संचालन पदाधिकारी एवं श्रीमती इन्दुबाला, प्रशाखा पदाधिकारी–10 (निगरानी प्रशाखा), भवन निर्माण विभाग, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. उक्त विभागीय कार्यवाही संस्थित करने एवं संचालन पदाधिकारी तथा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करने के प्रस्ताव पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

5. श्री अवध किशोर, कार्यपालक अभियंता, से अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश निर्गत की तिथि से दस (10) कार्य दिवसों के अन्दर अपना बचाव पक्ष लिखित रूप में उपस्थित होकर उपलब्ध करायेंगे।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

13/6/17

—(ब्रजनंदन प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 5379(भ0)अनु पटना, दिनांक– 14.6.17

प्रतिलिपिः–प्रपत्र ''क'' एवं साक्ष्य की प्रति सहित श्री उपेन्द्र नारायण, मुख्य अभियंता (दक्षिण), भवन निर्माण विभाग–सह–संचालन पदाधिकारी एवं श्रीमति इन्दुबाला, प्रशाखा पदाधिकारी–10 (निगरानी प्रशाखा), भवन निर्माण विभाग–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी तथा श्री अवध किशोर तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, अरवल, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

अनु0–यथोक्त ।

13/6/17

—सरकार के अपर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5379 (अ) पटना, दिनांक– 14.6.17

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–07 को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

13/6/17

सरकार के अपर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 5379 (अ) पटना, दिनांक– 14.6.17

प्रतिलिपिः–माननीय उप मुख्य (भवन निर्माण) मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, गया/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

13/6/17

सरकार के अपर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

13/6/17